विचार बिन्दु

अपना नाम सदा कायम रखने के लिए मनुष्य बड़े से बड़ा जोखिम उठाने, धन खर्च करने, हर तरह के कष्ट सहने, यहाँ तक कि मरने के लिए भी तैयार हो जाता है। -सुकरात

नागरिकता की अवधारणा बनाम पहचान की राजनीति

क्या हम नागरिक न रहकर समूह बनते जा रहे हैं?

भारत का लोकतंत्र आज एक ऐसे चौराहे पर खड़ा है, जहाँ रास्तों की कमी नहीं, पर दिशा को लेकर गहरी धुंध है। एक ओर संविधान की वह व्यापक और उदार अवधारणा है, जो हमें समान अधिकारों, समान अवसरों और साझा जिम्मेदारियों के साथएक 'नागरिक' के रूप में देखती है, तो दूसरी ओर तेजी से उभरती पहचान की राजनीति है, जो हमें जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र और यहाँ तक कि खान-पान की आदतों के छोटे-छोटे खांचों में बाँटकर परिभाषित करती है। प्रश्न सीधा है, लेकिन उत्तर जटिल: क्या हम एक आधुनिक राष्ट्र-राज्य के नागरिक बन रहे हैं या पहचान-आधारित समूहों में सिमटते जा रहे हैं?

पहचान की राजनीति का इतिहास भारत में नया नहीं है। यह उस सामाजिक संरचना की देन है, जहाँ असमानताएँ सदियों तक संस्थागत रूप से मौजूद रहीं। वंचित समुदायों ने अपनी पहचान के आधार पर ही संघर्ष किया, आवाज़ उठाई और सत्ता में भागीदारी सुनिश्चित की। मंडल राजनीति ने पिछड़े वर्गों को प्रतिनिधित्व दिया, दलित आंदोलनों ने सामाजिक न्याय को राष्ट्रीय विमर्श का केंद्र बनाया, और क्षेत्रीय दलों ने स्थानीय अस्मिताओं को मान्यता दिलाई। इस अर्थ में, पहचान की राजनीति लोकतंत्र के विस्तार का एक आवश्यक चरण रही है, ऐसा चरण जिसने ऐतिहासिक अन्यायों को चुनौती दी।

लेकिन आज की पहचान की राजनीति अपने मूल उद्देश्य से भटककर एक नए रूप में सामने आई है-जहाँ यह न्याय का माध्यम कम और सत्ता का उपकरण अधिक बन गई है। चुनावी परिदृश्य इसका सबसे स्पष्ट उदाहरण है। हाल के चुनावों में यह बार-बार दिखा है कि उम्मीदवारों का चयन और चुनावी रणनीतियाँ विकास के एजेंडे से अधिक जातीय और सामुदायिक गणित पर आधारित होता जा रहा है। मतदाता को 'नागरिक' नहीं, बल्कि एक 'खास पहचान' के प्रतिनिधि के रूप में संबोधित किया जाता है। बड़े से बड़ा नेता भी ऐसा करने से ख़ुद को रोकने की कोशिश करता नज़र नहीं आता है। परिणामस्वरूप, राजनीतिक संवाद मुद्दों से हटकर भावनात्मक ध्रुवीकरण की ओर खिसक जाता है।

यह प्रवृत्ति केवल चुनावी मंचों तक सीमित नहीं है। पूर्वोत्तर भारत, विशेषकर मणिपुर में पिछले समय में देखी गई जातीय हिंसा ने यह स्पष्ट कर दिया है कि जब पहचान की राजनीति सामाजिक संरचना पर हावी हो जाती है, तो उसका परिणाम केवल राजनीतिक ध्रुवीकरण नहीं, बल्कि सामाजिक विघटन भी हो सकता है। जब नागरिक की जगह समुदाय प्राथमिक इकाई बन जाता है, तो राज्य की निष्पक्षता भी सवालों के घेरे में आ जाती है और हिंसा के लिए जमीन तैयार होने लगती है। इसी तरह, असम जैसे राज्यों में 'जनसांख्यिकीय संतुलन' और 'आप्रवासन' जैसे मुद्दों का जिस तरह राजनीतिकरण किया गया है, वह भी पहचान-आधारित राजनीति के विस्तार का उदाहरण है। यह केवल नीतिगत बहस नहीं रहती, बल्कि धीरे-धीरे सामाजिक अविश्वास का कारण बन जाती है। 'हम' और 'वे' का यह विभाजन एक बार स्थापित हो जाए, तो उसे पाटना बेहद कठिन हो जाता है।

पहचान और नागरिकता के इस टकराव का एक और आयाम हाल के विधायी और सामाजिक विमर्शों में भी दिखाई देता है। ट्रांसजेंडर अधिकारों को लेकर उठी बहस इसका उदाहरण है, जहाँ एक ओर पहचान की मान्यता और सुरक्षा का प्रश्न है, वहीं दूसरी ओर समान नागरिक अधिकारों की व्याख्या का सवाल। यह टकराव बताता है कि पहचान-आधारित दृष्टिकोण अब केवल सामाजिक या राजनीतिक दायरे में नहीं, बल्कि विधायी संरचना तक गहराई से प्रवेश कर चुका है।

पहचान हमें हमारी जड़ों से जोड़ती है, हमारी विविधता को समृद्ध करती है। लेकिन नागरिकता हमें एक साझा मंच देती है, जहाँ हम सभी बराबर हैं। यदि हम केवल पहचान पर जोर देंगे, तो समाज बिखरेगा, और यदि हम केवल नागरिकता की बात करेंगे, बिना असमानताओं को स्वीकार किए, तो वह एक खोखली और ओढ़ी हुई समानता होगी।

मीडिया-विशेषकर सोशल मीडिया-ने इस पूरी प्रक्रिया को और अधिक चुभन भरा बना दिया है। आज सूचना केवल तथ्य नहीं, बल्कि 'नैरेटिव' बन गई है। एल्गोरिद्म हमें वही दिखाते हैं, जो हमारी मान्यताओं को पुष्ट करता है। परिणामस्वरूप, हम एक 'इको चैंबर' में कैद हो जाते हैं, जहाँ दूसरे दृष्टिकोण के लिए कोई जगह नहीं बचती। फेक न्यूज़ और भ्रामक सूचनाएँ इस ध्रुवीकरण को और गहरा करती हैं। एक झूठ, यदि वह किसी पहचान-विशेष की भावनाओं को छूता है, तो वह सच से कहीं अधिक तेज़ी से फैलता है।

इस पूरी प्रक्रिया का सबसे गंभीर परिणाम यह है कि 'नागरिकता' की अवधारणा धीरे-धीरे कमजोर पड़ रही है। भारतीय संविधान हमें एक ऐसी पहचान देता है, जो किसी जाति, धर्म या भाषा से ऊपर है। वह हमें समान अधिकारों और कर्तव्यों के साथ एकजुट करता है। लेकिन जब राजनीति और समाज का केंद्र पहचान बन जाती है, तो यह समानता दरकने लगती है। नीतियाँ भी समूह-विशेष को संतुष्ट करने के लिए बनाई जाने लगती हैं, न कि समग्र नागरिक हित को ध्यान में रखकर।

'फ्रीबी कल्चर'या रेवड़ी संस्कृति इसका एक स्पष्ट उदाहरण है, जहाँ अल्पकालिक राजनीतिक लाभ के लिए विशेष समूहों को लक्षित करके योजनाएँ बनाई जाती हैं। दिलचस्प यह देखना भी है कि जो लोग ज़ोर शोर से इस संस्कृति का विरोध करते हैं, मौका आने पर वे और अधिक बेशर्मी से इसे पनपाते भी हैं। इसी तरह, आरक्षण जैसे संवेदनशील मुद्दे पर भी संतुलित और तथ्य-आधारित विमर्श के बजाय भावनात्मक और ध्रुवीकरण करने वाली राजनीति हावी रहती है। इससे न केवल नीति-निर्माण की गुणवत्ता प्रभावित होती है, बल्कि समाज में असंतोष और अविश्वास भी बढ़ता है।

फिर भी, यह मान लेना कि पहचान की राजनीति पूरी तरह अनावश्यक या हानिकारक है, अति सरलीकरण होगा। भारत जैसे समाज में, जहाँ असमानताएँ अभी भी वास्तविकता हैं, वहाँ पहचान-आधारित प्रश्नों का महत्व बना रहेगा। समस्या पहचान में नहीं, बल्कि उसके अतिशयोक्तिपूर्ण और असंतुलित प्रयोग में है। जब पहचान न्याय का माध्यम बनने के बजाय विभाजन का औजार बन जाती है, तब वह लोकतंत्र के लिए खतरा बन जाती है।

वास्तविक चुनौती यह है कि हम पहचान और नागरिकता के बीच संतुलन कैसे स्थापित करें। पहचान हमें हमारी जड़ों से जोड़ती है, हमारी विविधता को समृद्ध करती है। लेकिन नागरिकता हमें एक साझा मंच देती है, जहाँ हम सभी बराबर हैं। यदि हम केवल पहचान पर जोर देंगे, तो समाज बिखरेगा, और यदि हम केवल नागरिकता की बात करेंगे, बिना असमानताओं को स्वीकार किए, तो वह एक खोखली और ओढ़ी हुई समानता होगी। आज आवश्यकता इस बात की है कि राजनीति इस संतुलन को समझे, पर उससे भी अधिक आवश्यकता यह है कि समाज-और हम सभी-इस जटिलता को समझें। हमें यह तय करना होगा कि हम अपनी पहचान को अपनी शक्ति बनाएँ या उसे अपने और दूसरों के बीच दीवार बनने दें।

अंततः, यह केवल एक बौद्धिक बहस नहीं, बल्कि भारत के भविष्य की दिशा का प्रश्न है। यदि चुनाव पहचान के आधार पर जीते जाएं, नीतियाँ पहचान के आधार पर बनें और समाज पहचान के आधार पर विभाजित हो जाए, तो नागरिकता की वह व्यापक अवधारणा, जो हमें एक राष्ट्र के रूप में जोड़ती है, धीरे-धीरे क्षीण हो जाएगी। तब शायद हमारे पास केवल यह कहने के लिए बचेगा कि हमने अपनी सबसे बड़ी ताकत-विविधता में एकता-को अपनी सबसे बड़ी कमजोरी में बदल दिया।

लोकतंत्र की असली परीक्षा चुनावों में नहीं, बल्कि इस बात में होती है कि वह अपने नागरिकों को कितनी मजबूती से एक साथ बाँध पाता है। यदि पहचान की राजनीति हमें लगातार विभाजित करती रही, तो यह केवल सामाजिक ताने-बाने को ही नहीं, बल्कि लोकतंत्र की आत्मा को भी कमजोर कर देगी। और तब यह प्रश्न इतिहास के पन्नों में दर्ज होगा-क्या हमने नागरिकता को खोकर केवल पहचानों को बचा लिया?अगर ऐसा हुआ तो यह न केवल दुर्भाग्यपूर्ण होगा, आत्मघाती भी होगा।

-अतिथि संपादक,
डॉ. दुर्गाप्रसाद अग्रवाल,
(शिक्षाविद और साहित्यकार)

नारी शक्ति से राष्ट्र शक्ति तक: नए भारत की सशक्त दिशा

आज भारत एक नए युग में प्रवेश कर चुका है, जहां नारी शक्ति को केवल सम्मान ही नहीं, बल्कि निर्णय लेने की शक्ति भी दी जा रही है

डॉ. मनीषा सिंह

नारी शक्ति केवल समाज का एक हिस्सा नहीं, बल्कि राष्ट्र की आत्मा है। सदियों तक आधी आबादी को अपने अस्तित्व और अधिकारों के लिए संघर्ष करना पड़ा, लेकिन आज भारत एक नए युग में प्रवेश कर चुका है-जहाँ नारी शक्ति को केवल सम्मान ही नहीं, बल्कि निर्णय लेने की शक्ति भी दी जा रही है।

महिला आरक्षण विधेयक 2023 इस बदलाव का सबसे सशक्त उदाहरण है। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 सीटों का आरक्षण सुनिश्चित करना न केवल एक संवैधानिक कदम है, बल्कि यह सामाजिक न्याय और समानता की दिशा में ऐतिहासिक निर्णय है। 16, 17 और 18 तारीख को प्रस्तावित संशोधनों के साथ यह विधेयक अब अपने क्रियान्वयन की ओर बढ़ रहा है। लंबे इंतजार के बाद यह पहल देश की करोड़ों महिलाओं के सपनों को साकार करने का मार्ग प्रशस्त करेगी। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा नारी शक्ति वंदन की भावना के साथ महिलाओं को सर्वोच्च स्थान दिया है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यह सोच केवल शब्दों तक सीमित नहीं रही, बल्कि योजनाओं और नीतियों के माध्यम से धरातल पर उतरी है।

यदि शुरुआती 50 वर्षों के शासन की तुलना पिछले 12 वर्षों से करें, तो स्पष्ट अंतर दिखाई देता है। पहले महिलाओं के सशक्तिकरण की बात तो होती थी, लेकिन वह अक्सर कागज़ों तक सीमित रह जाती थी। वहीं, पिछले एक दशक में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और मुख्यधारा में लाने के लिए ठोस और प्रभावी कदम उठाए गए हैं।

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ने रसोई के धुएँ से मुक्ति दिलाकर करोड़ों माताओं को स्वस्थ जीवन दिया। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ ने समाज की सोच बदली और बेटियों को सम्मान दिलाया। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना ने गर्भवती महिलाओं को आर्थिक सहायता देकर उनके स्वास्थ्य और पोषण को प्राथमिकता दी-यह केवल एक योजना नहीं, बल्कि मातृत्व के प्रति सम्मान का प्रतीक है। लखपति दीदी पहल ने ग्रामीण महिलाओं के जीवन में आत्मनिर्भरता की नई कहानी लिखी है। स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिलाएँ आज लाखों की आय अर्जित कर रही हैं और अपने परिवार के साथ-साथ समाज को भी सशक्त बना रही हैं। यह पहल यह साबित करती है कि जब अवसर मिलता है, तो महिलाएँ चमत्कार कर सकती हैं।

राजस्थान जैसे राज्यों में लाडो प्रोत्साहन योजना जैसी पहलें बेटियों के जन्म और शिक्षा को बढ़ावा दे रही हैं। यह केवल आर्थिक सहायता नहीं, बल्कि समाज में बेटियों के प्रति सकारात्मक सोच को मजबूत करने का माध्यम है।

इसके अलावा जन धन योजना के माध्यम से महिलाओं को बैंकिंग से जोड़कर आर्थिक स्वतंत्रता दी गई। मुद्रा योजना ने उन्हें उद्यमिता की राह दिखाई, वहीं सुकन्या समृद्धि योजना ने बेटियों के सुरक्षित भविष्य की नींव रखी। स्वच्छ भारत मिशन के तहत बने शौचालयों ने महिलाओं की गरिमा और सुरक्षा सुनिश्चित की, और जल जीवन मिशन ने उनके दैनिक जीवन को सरल बनाया। इन सभी योजनाओं में एक समान भाव दिखाई देता है- सम्मान, सुरक्षा और स्वाभिमान। यह केवल विकास की योजनाएँ नहीं, बल्कि एक संवेदनशील सोच का परिणाम हैं, जिसमें महिला को राष्ट्र निर्माण की धुरी माना गया है।

आज भारतीय महिलाएँ हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं-शिक्षा, विज्ञान, खेल, सेना व्यापार और राजनीति में उनका योगदान लगातार बढ़ रहा है। लेकिन महिला आरक्षण विधेयक इस भागीदारी को और मजबूती देगा। जब संसद और विधानसभाओं में महिलाओं की संख्या बढ़ेगी, तो नीतियों में उनकी संवेदनशीलता, अनुभव और दृष्टिकोण भी शामिल होगा। यह बदलाव केवल प्रतिनिधित्व का नहीं, बल्कि सोच का परिवर्तन है। पहले जहां महिलाएँ निर्णयों की दर्शक थीं, अब वे निर्णय लेने वाली बनेंगी। यही सच्चे अर्थों में सशक्तिकरण है।आज का भारत यह समझ चुका है कि नारी शक्ति के बिना राष्ट्र का विकास अधूरा है। इसलिए यह विधेयक केवल एक कानून नहीं, बल्कि एक नए युग की शुरुआत है-एक ऐसा युग जहाँ महिलाएँ केवल अपने अधिकारों के लिए नहीं, बल्कि देश के नेतृत्व के लिए आगे बढ़ रही हैं।

अंत में यही कहा जा सकता है कि नारी शक्ति से ही राष्ट्र शक्ति का निर्माण होता है। आज भारत उसी दिशा में मजबूती से आगे बढ़ रहा है, जहाँ हर महिला सशक्त, आत्मनिर्भर और सम्मानित जीवन जी सके।

-डॉ. मनीषा सिंह,
प्रदेश प्रवक्ता, भाजपा,
राजस्थान

"पंचायतों और नगरपालिकाओं का समयबद्ध निर्वाचन..."

राज्य निर्वाचन आयोग का स्पष्टीकरण

राष्ट्रदूत समाचार पत्र के 12 अप्रैल के अंक में सम्पादकीय पेज पर पूर्व आर. ए. एस. अधिकारी आर. के. पारीक द्वारा लिखित 'पंचायतों और नगरपालिकाओं का समयबद्ध निर्वाचन - राज्य निर्वाचन आयोग का दायित्व' लेख गया था। इस लेख के संबंध में राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ़ से स्पष्टीकरण जारी किया गया है, वो अविकल रूप से प्रकाशित किया जा रहा है।

पंचायतीराज और नगरीय निकाय के चुनाव कराना राज्य सरकार और राज्य चुनाव आयोग की संयुक्त और सम्मिलित ज़िम्मेदारी है। निकायों का गठन, पुनर्गठन, परिसीमन और एससी, एसटी, ओबीसी, महिला इत्यादि के लिए पदों का आरक्षण राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है और मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन, चुनाव की घोषणा, चुनाव प्रक्रिया का निष्पक्ष संचालन और आदर्श आचार संहिता की पालना करवाना राज्य चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र में आता है। जब तक राज्य सरकार द्वारा संवैधानिक और वैधानिक प्रावधानों के अनुसार विभिन्न वर्गों के लिए पदों का आरक्षण पूर्ण कर राज्य चुनाव आयोग को सूचित नहीं किया जाता तब तक चुनाव कराया जाना संभव नहीं है।

ज्ञातव्य है कि विगत 31 मार्च 2026 को एक आदेश जारी कर राज्य सरकार ने ओबीसी के राजनीतिक प्रतिनिधित्व की सीमा तय करने के लिए गठित पिछड़ा वर्ग आयोग का कार्यकाल सितम्बर 2026 तक के लिए बढ़ा दिया है।

भारतीय संवैधानिक नैतिकता

विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका जैसी संस्थाओं के प्रति आपसी सम्मान और कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करना संवैधानिक नैतिकता का मूल तत्व है

सूर्य प्रताप सिंह राजावत

विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका जैसी संस्थाओं के प्रति आपसी सम्मान और कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करना संवैधानिक नैतिकता का मूल तत्व है।

अधिकार, दायित्व, विकास, प्रगति और वृद्धि जैसी अवधारणाओं को ;उद्देश्य प्रस्ताव; (Objectives Resolution) की कार्यवाही के दौरान हुई बहसों के संदर्भ में सबसे अच्छी तरह से परिभाषित किया जा सकता है। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव का प्रस्ताव, अन्य बातों के साथ-साथ, दो महत्वपूर्ण पहलुओं की ओर संकेत करता है। पहला है-सभ्य राष्ट्रों के समुदाय में ;भारत; के गरिमामय स्थान को पुनः स्थापित करना; और दूसरा है-इस प्राचीन भूमि के मूल्यों को मान्यता देना, स्वीकार करना और उन्हें बढ़ावा देना। ये दो शब्द-;सभ्य राष्ट्र; और ;प्राचीन भूमि;-ऐसे संक्षिप्त पद हैं जिन पर गहन विचार-विमर्श की आवश्यकता है।

पहला-सभ्य राष्ट्र; का अर्थ है जीवन जीने का वह तरीका जो उच्च आदर्शों की ओर अग्रसर हो, फिर चाहे वे आदर्श कितने भी ऊँचे क्यों न हों। दूसरा-प्राचीन भूमि; का संदर्भ भारतीय सभ्यताओं से है, जिनकी जड़ें वैदिक काल और मोहनजोदड़ो सभ्यता तक फैली हुई हैं; और यह तथ्य नंदलाल बोस द्वारा बनाए गए उन चित्रों (illustrations) का भी हिस्सा है, जिन पर संविधान सभा के सदस्यों के विधिवत हस्ताक्षर अंकित हैं। यह कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि प्रस्तावना (Preamble) ;भारत के संविधान; को समझने का प्रवेश-द्वार है, जो संविधान निर्माताओं की आकांक्षाओं और उनके मंतव्यों को रेखांकित करती है। प्रस्तावना की ;आत्मा; को, उद्देश्य प्रस्ताव पर हुई बहसों का सम्मान करते हुए ही, सबसे बेहतर ढंग से समझा जा सकता है।

डॉ. अंबेडकर को आने वाली पीढ़ियों की समझदारी पर भरोसा था; यह बात इस सवाल के उनके जवाब से ज़ाहिर होती है कि क्या शिक्षण संस्थानों में गीता और वेदों को पढ़ाया जान चाहिए। उनका जवाब था कि जब सही समय आएगा, तब इस पर फ़ैसला कर लिया जाएगा।

संविधान सभा की बहसें उन लक्ष्यों, आकांक्षाओं और उद्देश्यों का प्रमाण हैं जिन्हें भारत के लोग, भारत के संविधान के रूप में शासन की व्यवस्था के ज़रिए हासिल करना चाहते थे। इसलिए, भारत की आत्मा की समझ के अनुसार, संविधान विकासशील, परिवर्तनकारी और प्रगतिशील हो सकता है। केशवानंद भारती मामले में ;मूल ढांचा सिद्धांत; (Basic Structure Doctrine) की व्याख्या को भारतीय न्यायपालिका की रचनात्मकता का एक रूप माना जाता है, जिसे ;न्यायिक सक्रियता; (Judicial Activism) भी कहा जाता है। ऐसे सिद्धांतों, मतों और कानूनों की एक लंबी सूची है जो मूल ढांचा सिद्धांत; का हिस्सा माने जाते हैं; जैसे: संविधान की सर्वोच्चता, कानून का शासन, शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत, भारत के संविधान की प्रस्तावना में बताए गए उद्देश्य, न्यायिक समीक्षा, अनुच्छेद 32 और 226, संघवाद, संप्रभु और लोकतांत्रिक स्वरूप, सरकार की संसदीय प्रणाली, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों का सिद्धांत, अनुच्छेद 368 के तहत दी गई संशोधन की शक्ति पर सीमाएं, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्याय तक प्रभावी पहुंच, और भारत के सर्वोच्च न्यायालय की अनुच्छेद 32, 136, 141, 142 के तहत प्राप्त शक्तियां आदि लेकिन मूल संरचना सिद्धांत की पवित्रता और वैधता को इस कसौटी पर खरा उतरना होगा कि वह दिशाहीन न हो। उसे गति के साथ दिशा भी प्रदान करनी चाहिए। केवल गति का अपने आप में कोई मूल्य नहीं होता। प्रतिस्पर्धी मूल्यों की दुनिया में, वे मूल्य जो संविधान सभा की आकांक्षाओं को आगे बढ़ाने में मदद करते हैं-विशेषकर उद्देश्य प्रस्ताव के संदर्भ में, जिसे प्रस्तावना के रूप में तैयार किया गया था-वही गति के साथ दिशा भी प्राप्त करने के लिए मार्गदर्शक शक्ति का काम करेंगे। एकं सद् विप्रा बहुधा वदन्ति;, वसुधैव कुटुम्बकम्; और ;एकं बहु स्याम्; जैसे सभ्यतागत मूल्यों की भावना को भारत के नागरिकों में आत्मसात करने की आवश्यकता है। इस पहलू पर किसी भी रूप में किया गया कोई भी समझौता भारत की प्राचीन भूमि की मूल भावना के साथ विश्वासघात होगा। पंथनिरपेक्षता को आध्यात्मिकता के संदर्भ में परिभाषित किया जान चाहिए, न कि पश्चिमी अवधारणा की तर्ज पर, जो भारत के लिए पराई है। सबरीमाला मंदिर से जुड़े मुद्दों की समीक्षा, व्यक्तिगत अधिकारों और सांस्कृतिक अधिकारों के बीच संतुलन बनाने के संदर्भ में की जानी चाहिए। नैतिकता की अनदेखी नहीं की जा सकती लिव-इन रिलेशनशिप को विनियमित करने की आवश्यकता है और इसे विवाह के दर्जे के बराबर नहीं माना जा सकता, क्योंकि विवाह एक अत्यंत पवित्र संस्था है। क्या भारत की पारिवारिक व्यवस्था में वैवाहिक निर्णय लेते समय किसी व्यक्ति की स्थिति-और परिवार के साथ उसके विशेष संबंधों-की अनदेखी की जा सकती है, विशेषकर जब ;रिट क्षेत्राधिकार; के तहत बंदी प्रत्यक्षीकरण; (Habeas Corpus) सुरक्षा पर विचार किया जा रहा हो? और अंत में, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सर्वोच्च न्यायालय ने व्यभिचार (Adultery) को केवल एक दीवानी अपराध घोषित करने में इतनी जल्दबाजी क्यों दिखाई? दुर्भाग्यवश, ये सभी विवादास्पद घोषणाएँ मूल संरचना सिद्धांत; और संवैधानिक नैतिकता के सिद्धांत; के आधार पर की गई हैं।

■ संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव का प्रस्ताव, अन्य बातों के साथ दो महत्वपूर्ण पहलुओं की ओर संकेत करता है, पहला है सभ्य राष्ट्रों के समुदाय में भारत के गरिमामय स्थान को पुनः स्थापित करना, दूसरा है इस प्राचीन भूमि के मूल्यों को मान्यता देना

यह व्यापक रूप से बताया जा रहा है कि नौ जजों की एक पीठ विभिन्न धर्मों द्वारा पालन की जाने वाली धार्मिक स्वतंत्रता के दायरे और सीमा पर सुनवाई कर रही है। सर्वोच्च न्यायालय को यह समझना चाहिए कि इस विषय पर किसी भी निर्णय के लिए धर्म; शब्द की उचित समझ आवश्यक है। इस संबंध में, भारत रत्न से सम्मानित प्रो. पी.वी. काणे ने अपने विशाल ग्रंथ धर्मशास्त्र का इतिहास में कहा है कि इस ग्रह पर किसी भी सभ्यता के किसी भी शब्दकोश में धर्म; शब्द का कोई अनुवाद या समकक्ष शब्द संभव नहीं है। इसका कारण यह है कि आध्यात्मिकता भारतीय सभ्यता के जीवन का केंद्र रही है, जो अन्य सभ्यताओं में देखने को नहीं मिलती। मुक्ति और पूर्णता ही वह आदर्श रहे हैं जिन्हें प्राप्त करने का प्रयास किया गया है। स्थायित्व और जवाबदेही जैसे प्रतिस्पर्धी मूल्य संवैधानिक नैतिकता के स्वरूप और दायरे को निर्धारित करेंगे।

एसेज़ ऑन गीता; (Essays on Geeta) में महर्षि अरविंद लिखते हैं कि भारतीय सभ्यता के आदर्श अन्य सभ्यताओं से इतने अलग और विशिष्ट हैं कि आधुनिक मानसिकता से गीता की जितनी भी व्याख्याएँ की गई हैं, वे सभी एक ऐसे निष्कर्ष पर पहुँची हैं जो गीता का मूल अभिप्राय नहीं है। चेतना को मुक्ति और दिव्यता की ओर ऊँचा उठाना, तथा सांसारिक कार्यों में पूर्णता को प्रकट करना ही गीता की मूल शिक्षा है।

6 दिसंबर 1948 को, संविधान सभा की बहसों (Constituent Assembly Debates) के खंड VII में, एच. वी. कामथ कहते हैं: ... महायोगी श्री अरविंद ने अपनी एक प्रसिद्ध पुस्तक में कहा है: ;वह मूल विचार जिसने भारतीय लोगों के जीवन, संस्कृति और सामाजिक आदर्शों को संचालित किया है, वह है मनुष्य द्वारा अपने सच्चे, आध्यात्मिक स्वरूप की खोज; तथा जीवन का उपयोग उस खोज के लिए एक माध्यम और आधार के रूप में करना, ताकि मनुष्य अज्ञानपूर्ण प्राकृतिक अवस्था से ऊपर उठकर आध्यात्मिक अस्तित्व को प्राप्त कर सके।; ... 20CWSA 397 ... महायोगी श्रीअरविंद ने बार-बार यह कहा है कि आज की सबसे बड़ी आवश्यकता चेतना का रूपांतरण है-अर्थात् योग के अनुशासन के माध्यम से मानवता को एक उच्चतर स्तर तक ऊपर उठाना ... संवैधानिक नैतिकता, जो शासन-व्यवस्था की रूपरेखा और भावना के अनुरूप चेतना के रूपांतरण की प्राप्ति के लिए वातावरण प्रदान करती है, उसे ही वास्तव में ;भारतीय संवैधानिक नैतिकता; के रूप में मान्यता दी जाएगी। इस मापदंड से कमतर किसी भी चीज़ को ;भारतीयता; नहीं माना जाएगा; उस पर ऐसी बौद्धिक चेतना की छाप होगी, जो पश्चिमी सोच की दासता के हाथों गिरवी रखी जा चुकी है।

अनेकता में एकता; भारत की पहचान है। इस तथ्य पर कोई असहमति नहीं है कि भारत के छह दर्शन आपसी सहिष्णुता के बजाय आपसी सम्मान और पारस्परिकता का प्रतीक हैं। ये छह दर्शन हैं: सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत। भारत इन छह दार्शनिक संप्रदायों पर गर्व कर सकता है; ये दर्शन नदियों की तरह एक-दूसरे के समानांतर बहते हैं, जो शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व और अज्ञात की खोज में नवीनता की भावना को दर्शाते हैं। इन छह दार्शनिक संप्रदायों की विभिन्न प्रथाओं, रीति-रिवाजों और आस्थाओं की विविधता को उचित रूप से स्वीकार और सम्मानित किया जाना चाहिए। यह भावना सर्वोच्च न्यायालय को विभिन्न धर्मों द्वारा पालन की जाने वाली धार्मिक स्वतंत्रता के दायरे और सीमा को समझने तथा उसकी व्याख्या करने में सहायता कर सकती है।

यह आग्रह किया जाता है कि ;मूल संरचना सिद्धांत और संवैधानिक नैतिकता; के नाम पर, सर्वोच्च न्यायालय को उद्देश्य प्रस्ताव; की आकांक्षाओं और उसकी मूल भावना को विस्मृत नहीं करना चाहिए; क्योंकि यह प्रस्ताव वेदों, रामायण और गीता की इस प्राचीन भूमि के मूल्यों को अक्षुण्ण बनाए रखने की मांग करता है। यह दृष्टिकोण भारतीय संवैधानिक नैतिकता का निर्माण करता है, जो ;हम, भारत के लोगों; की वैध अपेक्षा का आधार बनता है।

-सूर्य प्रताप सिंह राजावत,
अधिवक्ता, वाईस चेयरमैन, श्री अरविंद सोसाइटी राजस्थान

राशिफल

पंडित अनिल शर्मा

सोमवार 13 अप्रैल, 2026

वैशाख मास, कृष्ण पक्ष, एकादशी तिथि, सोमवार, विक्रम संवत 2083, धनिष्ठा नक्षत्र सायं 4:04 तक, शुभ योग सायं 5:17 तक, बव करण दिन 1:13 तक, चन्द्रमा आज कुम्भ राशि में संचार करेगा।

ग्रह स्थिति: सूर्य-मीन, चन्द्रमा-कुम्भ, मंगल-मीन, बुध-मीन, गुरू-मिथुन, शुक्र-मेष, शनि-मीन, राहु-कुम्भ, केतु-सिंह

आज वरुथिनी एकादशी व्रत पंचक है।

श्रेष्ठ चौघड़िया: अमृत सूर्योदय से 7:44 तक, शुभ 9:18 से 10:53 तक, चर 2:02 से 3:37 तक, लाभ-अमृत 3:37 से सूर्यास्त तक।

राहूकाल: 7:30 से 9:00 तक। सूर्योदय 6:09, सूर्यास्त 6:46

मेष

आर्थिक/वित्तीय मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आय में वृद्धि होगी। अटका हुआ धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक यात्रा संभव है। घर-परिवार में सुख-सुविधाएं बढ़ेगी।

वृष

व्यावसायिक कार्यों को प्राथमिकता से करने का प्रयास करें। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। चलते कार्यों में प्रगति होगी। आज व्यावसायिक आय में वृद्धि होगी। धार्मिक कार्यों में भाग ले सकते हैं।

मिथुन

परिवार में धार्मिक-मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। धार्मिक कार्यों में भाग ले सकते हैं। घर-परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी। व्यावसायिक कार्य योजना का क्रियान्वयन हो सकता है।

कर्क

चन्द्रमा अष्टम भाव में शुभ नहीं है। शुभ कार्यों में व्यवधान हो सकता है। व्यक्तिगत परेशानियां अभी यथावत बनी रहेगी। आवश्यक कार्यों में विलम्ब हो सकता है। बनते कार्य बिगड़ सकते हैं।

सिंह

परिवार में आपसी सहयोग-समन्वय बना रहेगा। परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा। परिवार में महत्वपूर्ण कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

कन्या

आर्थिक विवादों का निपटारा हो सकता है। अटका हुआ धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक संपर्क बनेंगे। व्यावसायिक अनुबंध प्राप्त हो सकते हैं। परिवार में महत्वपूर्ण कार्य सम्पन्न हो सकते हैं।

तुला

व्यावसायिक कार्यों के संबंध में उचित सोच-विचार हो सकता है। व्यावसायिक मामलों में महत्वपूर्ण परामर्श मिल सकता है। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

वृश्चिक

घर-परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी। परिवार में अतिथियों के आगमन से उत्सव जैसा माहौल रहेगा। व्यावसायिक स्थिति ठीक रहेगी। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।

धनु

परिवार में मन को प्रसन्न करने वाले संदेश प्राप्त होंगे। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। परिजनों के सहयोग से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

मकर

आर्थिक कारणों से अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। अटका हुआ धन प्राप्त होगा। आर्थिक मामलों में परिचितों से सहयोग मिलेगा। व्यावसायिक स्थिति ठीक रहेगी। परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी।

कुंभ

व्यावसायिक कार्यों से संबंधित आर्थिक समस्या का समाधान हो सकता है। अटका हुआ धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक स्थिति ठीक रहेगी। नवीन कार्यों में उचित सफलता मिल सकती है।

मीन

आज अनावश्यक धन खर्च हो सकता है। पारिवारिक कार्यों के कारण भागदौड़ रहेगी। आज समय अनर्गल कार्यों में खराब हो सकता है। मन में असंतोष बना रहेगा। खान-पान के कारण स्वास्थ्य खराब हो सकता है।